न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला—अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना संख्या 126/2018

1. मोहनसिंह पुत्र श्री गुलाब
2. श्रीमति मोहनी पत्नी पूनमसिंह
3. विजयसिंह पुत्र श्री पूनमसिंह
4. राजेश सिंह पुत्र श्री पूनमसिंह
5. सुरेश सिंह पुत्र श्री पूनमसिंह
6. जयसिंह पुत्र श्री गुलाब

कम सं. 1 लगायत 6 जाति रावत निवासीगण ग्राम गोपालसागर ग्राम पंचायत कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

————प्रार्थीगण

ब ना म

1. चैनसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम लहरी (खरवा) तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. पतासी पत्नी श्री कालू
3. भैरू पुत्र श्री कालू
4. श्रवण पुत्र श्री कालू
5. सांवरा पुत्र श्री कालू
6. माया पुत्री श्री कालू
7. लीला पुत्री श्री कालू

कम सं. 2 लगायत 7 जाति रावत निवासीगण ग्राम गोपालसागर ग्राम पंचायत कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एवं धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक: 52.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा गोपालसागर, पटवार क्षेत्र कानाखेडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069—2072 के खसरा संख्या 2519 रकबा 02—01—00 बीघा भूमिं प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमिं की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी [illegible] चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थीगण [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 08 तहसीलदार महोदय को आदेशित [illegible] खातेदारी आराजीयात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:25:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

................लगातार

मोहनसिंह बनाम चैनसिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 126/2019
//2//

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा गोपालसागर, पटवार क्षेत्र कानाखेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 2519 रकबा 02–01–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा गोपालसागर, पटवार क्षेत्र कानाखेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 2519 रकबा 02–01–00 बीघा भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:25:13 IST
Reason: SelfAttested